

Western Railway



Ankit Kumar, IRSE  
Deputy Chief Engineer/C/III,  
Mobile no: +91-9724091253

Office of the,  
Dy. Chief Engineer (Const.)III,  
Pratapnagar, Vadodara-04  
Email: [dycec3brc@gmail.com](mailto:dycec3brc@gmail.com)

No. BRC/W/115/22 (Forest)

Dated: 14.03.2024

To,  
Additional Principal Chief Forest Conservator [Land Management]  
Van Bhawan,  
Madhya Pradesh  
Bhopal - 462003

[Kind attention: Shri H. S. Mohanta]

**Sub: Proposal for diversion of forest land 244.039Hec. for construction of New Railway Broad Gauge line between Chhotaudepur to Dhar. (Proposal No. FP/MPRAIL/154962/2022)**

- Ref:**
1. EDS No. 6-MPR 015/2023-BRO Dated. 12.02.2024
  2. Your letter number no. F-5/1259/2023/10-11/1044, dated 15.02.24
  3. This office letter of even number, dated 15.02.24
  4. Meeting held by Cabinet Secretary (Co)/ New Delhi on 05.03.24
  5. Your letter number no. F-5/1259/2023/10-11/1388, dated 06.03.24 for conducting meeting on 12.03.24 in your office.
  6. Meeting held in your office on 12.03.24 in respect of reference [5] above.

Sir,

Apropos above and in specific reference to the discussions held during the meeting on 12.03.24 in your good office at Bhopal in respect of EDS, dated 12.02.24, containing total **four observations, item-wise reply/compliance/remarks from Railway side on information**, as desired by aforesaid EDS, and as discussed during the aforesaid meeting, **are submitted as under** for onward submission of consolidated reply from your end for disposal of the EDS, dated 12.02.24 as under reference [1] above:

**1. Reg: Observation 1**

The **revised KML** of proposed diversion area i.e. 244.039 hectare with the **Station area marked**, is **re-submitted** herewith as per discussions held in the meeting. This revised KML has since been duly checked by the concerned railway official and also got checked by the concerned officials of your office. The marking of station area [JAMANIYA] was shown on the screen during the meeting held on 12.03.24.

2. **Reg: Observation 2**

**Benefit Cost Analysis**, duly quantified in monetary terms along with benefit cost ratio duly signed by concerned Deputy Chief Engineer/Construction/III/BRC/WR is again re-submitted herewith as **Annexure: A**. Benefit cost ratio works out to be 2.93:1.

3. **Reg: Observation 3**

Necessary rectification has since been done with corrections thereon by the concerned DFO/Dhar and the same has since been **uploaded on the on-line portal**. Compliance of this item was informed during the aforesaid meeting, dated 12.03.24.

4. **Reg: Observation 4**

**Observation under item 4 of aforesaid EDS, dated 12.02.24 was as under:**

*“The reply related to violation is not as per the provisions. The State Govt needs to initiate action in accordance with FCA and Rules taking action against the authority responsible for violation of FCA, 1980 and against the officials who have not been able to prevent violation of FCA, 1980. Detailed report needs to be submitted in this regard.”*

In respect of above observation, detailed discussions were held during the meeting on 12.03.24 and following facts were brought into notice by Railway for consideration in finalizing the consolidated reply on above observation. :

- 4.1 The proposal involves total 244.039 hectare land which is equivalent to 24.499 km in linear length of the project from Jobat to Dhar [84.46 km]. Out of aforesaid land area of 244.039 hectare land, the land area of 6.654 hectare [2.73%], which is equivalent to 1.193 km only is alleged to be under violation.
- 4.2 The aforesaid 6.654 hectare area of land in linear length of 1.193 km falls in between Jobat-Dekakund [11.88 km] block section which is targeted for commissioning by Railway along with the next block section Dekakund – Tanda Road [15.70 km] involving 5.528 hectare of forest land in a linear length of 0.912 km.
- 4.3 It is evident from the aforesaid position that out of aforesaid 27.58 km length of the project section from Jobat – Dekakund – Tanda Road, involving two block sections, which are targeted for commissioning, the total forest land delaying the commissioning of aforesaid two block sections, involves an area of 12.182 hectare [i.e. 6.654 + 5.528] in a total linear length of 2.105 km only which constitutes 7.6% of aforesaid 27.58 km length. The balance area of 231.857 hectare forest land is beyond Tanda Road railway station and upto Dhar involving linear length of 56.88 km.



4.4 As such, unless the construction work is done in aforesaid area of 6.654 hectare of forest land involving alleged violation for which the complete proposal of 244.039 hectare forest land is held up since April 2022 [29.04.22: Date of proposal in Parivesh portal] at the earliest, the block section from Jobat to Dekakund cannot be commissioned, apart from non-completion of works in onward block sections also which is causing inordinate delay in completion/commissioning of the whole project.

4.5 In respect of the aforesaid specific issue of alleged violation involving an area of 6.654 hectare land for which the complete proposal is stuck up, the relevant facts and records are submitted as under in chronology of events:

4.5.1 January, 2017 [Submission of proposal by Railway to Collector/ Alirajpur]

(i) At the beginning of execution of the project section from Jobat onwards, the aforesaid land of 6.654 hectare between Jobat and Dekakund stations located in two isolated stretches of chainage 77.952 to 78.040 [0.88 km] and Chainage 80.029 to 81.134 [1.105 km], thus involving total linear length of 1.193 km out of the aforesaid block section length of 11.88 km (between Jobat-Dekakund) was immediately required by railway to start from Jobat end towards Dekakund station, as the previous section upto Jobat was getting commissioned and the aforesaid next block section from Jobat to Dekakund was to be taken up for construction works.

(ii) The aforesaid land of 6.654 hectare was stated by the revenue authorities under their ownership as per their land records.

(iii) Accordingly based on revenue land records, **proposal for acquisition of the above land (6.654 hectare) was submitted by railway to Collector/Alirajpur on 13.01.17.**

4.5.2 January, 2018 [Issue of award by Collector/ Alirajpur]

- (i) Award was issued by the then Collector/Alirajpur on **30.01.18** for total land area of 9.792 hectare which included the aforesaid land of 6.654 hectare also. The award value was Rs 42,54,371/- [Copy of award in 8 pages is enclosed as **Annexure: B**]
- (ii) The aforesaid award involved an intervening period of about one year from date of submission of proposal by Railway to the Collector/Alirajpur in Jan 2017.
- (iii) The award amount of Rs. 42.54 lakh was paid by railway to revenue authorities for disbursement.

4.5.3 March, 2018 [Evaluation of Trees by forest officials]

- (i) **09.03.2018:** Forest Ranger/ Jobat's letter to DFO/ Alirajpur in respect of evaluation of trees. [copy of this letter on record is enclosed as **Annexure- C**]

- (ii) **10.03.2018:** A letter jointly signed by the then Forest Ranger/ Jobat, SDO/ Ajadnagar, Tehsildar/ Jobat, Senior Horticulture Development Officer, and addressed to DFO/ Alirajpur, which contains the details of the evaluation of the trees involving total cost of Rs 4,57,696 for 1010 trees [copy of this letter in 6 pages on record is enclosed as **Annexure- D**]
- (iii) The above two documents on record clearly demonstrates that the then forest officials were clearly aware of the above land area of 6.654 hectare for which they were evaluating the cost of trees. If the aforesaid land was pertaining to the forest department, then at that moment, the forest officials should have objected the ownership of land.

This simply demonstrates the fact that at the time of evaluation of trees and even after award of land by revenue authorities in January, 2018, the forest officials which were involved in evaluation of trees did not object that the above land did not belong to revenue and instead belonged to forest department.

**4.5.4 January, 2019** [Award of tender for construction works]

Subsequently, with the authority of the above award, tender was awarded by Railway for construction work in above section on 25.01.2019.

**4.5.5 April, 2019** [Start of physical execution of work in some stretch of 6.654 hectare land]

- (i) Subsequently, after award of tender on 25.01.2019, commencement of work under the awarded contract was started and physical work in some stretch of aforesaid land area of 6.654 hectare land started from April, 2019 as per date of measurement recorded as 20.05.2019 at page no 780001 of railway's Measurement Book no. BRC/7801 in respect of 1<sup>st</sup> running on-account bill. [copy of concerned page indicating date of 1<sup>st</sup> measurement is enclosed as **Annexure- E**].

**4.5.6 April, 2022** [Application on Parivesh Portal]

- (i) When Railway approached the forest department in connection with submission of remaining forest land for the project from Dekakund to Dhar involving 237.385 hectare forest land in a linear length of 72.58 km, then the forest officials stated that that as per their KML details, the land area of 6.654 hectare between Jobat-Dekakund, which the railway had already acquired from revenue authorities way back in 2018, also belongs to forest department and the same must be included in the aforesaid proposal.
- (ii) Accordingly, on the insistence of the forest department, the proposal for 244.039 hectare including the aforesaid land area of 6.654 hectare for Stage – I forest clearance from state forest department was applied by Railway on "Parivesh portal" vide application no. FP/MP/RAIL/154962/2022, dated 29.04.2022.

**4.5.7 October, 2022** [Stoppage of work by forest officials]



- (i) The work was completely stopped by forest officials in Oct 2022 stating that the aforesaid land pertains to forest and as such necessary permission is required to be taken as per the FCA Act.
- (ii) Since then, the work is stopped in the aforesaid land area of 6.654 hectare.

**4.6 January, 2023 [Joint inspection by Revenue, Forest and Railway Officials]**

4.6.1 In above matter, a joint inspection was conducted by the then revenue, forest and railway officials and a joint report dated 20.01.23, on record, duly signed by the aforesaid officials is enclosed herewith as Annexure: F which is addressed to Collector/ Alirajpur.

4.6.2 It is quite evident from the conclusions drawn in the aforesaid joint report, dated 20.01.23 duly signed by the then revenue, forest and railway officials that there was an issue of non-reconciliation of land records between revenue and forest records, which resulted in acquisition of above land by railway from revenue authorities.

4.7 The above facts and records clearly demonstrate that there was no negligence or willful intention/act on the part of the then Railway Officials to violate the FCA Act.

4.8 The then Railway Officials associated with the work were Shri Ranvijay Kumar, JE/Works and Shri Raj Kishore Choudhary, SSE/Works

5.0 It is requested that the consolidated suitable reply from your end in respect of EDS, dated 12.02.24 may please be submitted to Deputy Director General, MoEFCC, Bhopal at the earliest.

DA: As above

Your's sincerely,

  
(ANKIT KUMAR)

Dy. Chief Engineer (Construction)III,  
Western Railway, Vadodara

**Copy to:** For kind information and necessary action


1. Deputy Director General MoEF Regional Office, Bhopal
2. Collector/ Alirajpur
3. District Forest Officer/ Alirajpur

**BENEFIT COST ANALYSIS**  
**PART-A**

Category of proposals for which Cost Benefit Analysis are applicable for  
"Construction of New B.G. Railway Line from Chhotaudepur to Dhar Project [157 km]"  
[ Proposal No. FP/MP/RAIL/154962/2022, Dated 29.04.2022]

No.	Nature of Proposal	Applicable / Not Applicable	Remarks
1	All categories of proposals involving forest land up to 20 hectares in plains and up to 5 hectare in hills	Not applicable	Nil
2	Proposal for defence installation purposes and oil prospecting (prospecting only)	Not applicable	Nil
3	Habitation, establishment of industrial units, tourist lodges complex and other building construction.	Not applicable	Nil
4	All other proposals involving forestland more than 20 hectares in plains and more than 5 hectares in hills including roads, transmission lines, minor, medium and major irrigation projects, hydro projects, mining activity, railway lines, location specific installations centre, TV towers etc.	Applicable	These are cases where a cost benefit analysis is necessary to determine whether diverting the forest land to non-forest use is in the overall public interest.
5	Proposal for renewal of Mining lease for forest land.	Not applicable	Nil

Place:- Vadodara  
Date:- 14.03.2024

  
[ Ankit Kumar, IRSE ]  
Dy. Chief Engineer (Construction)III,  
Western Railway, Pratapnagar,  
Vadodara-390 004



**BENEFIT COST ANALYSIS**  
**PART-B**

**PARAMETER FOR EVALUATION LOSS OF FOREST HAS BEEN ACCORD FOR A PERIOD OF 50 YEARS AS PER GOVERNMENT DIRECTIVES**

**Project :- Construction of New B.G. Railway Line from Chhotaudapur to Dhar Project.**

Total length of B.G. railway Line passing through Reserve forest area under Alirajpur District- Alirajpur	:-	1.19 Km
Total length of B.G. railway Line passing through Reserve forest area under Dhar District- Dhar	:-	23.309 Km
Total area of PF proposed for diversion from Alirajpur Forest Division	:-	6.654 Hectare
Total area of PF proposed for diversion from Dhar Forest Division	:-	237.385 Hectare


**(Total length of B.G. railway Line passing through Reserve forest area under Alirajpur & Dhar forest division is 24.21 Km and Total area of PF proposed for diversion from Alirajpur & Dhar forest division is 244.039 Hectare)**

No.	Parameters	Read, Tr. Line & railway Line
1	<b><u>Forest Loss calculations</u></b> Loss of value of timber, fuel wood and minor forest produce on an annual basis, including loss of man-hours per annum of people who derived livelihood and wages from the harvest of these commodities.  Present NPV for 1 ha of forest land  Present NPV for 244.039 ha forest land	     = 9.57780 Lakh  = 244.039 X 9.57780 Lakh = 2337.3567 Lakh
2	Loss of animal husbandry productivity, including loss of fodder.	Loss = 5 Tonne/hectare/year @ Rs. 125 per Tonne = 5 x 125 x 244.039 = Rs. 1,52,524.38 = 1,52,524.38 x 50 (For 50 years) = Rs. 76,26,219/- (or) =10% of environmental cost (NPV) =2337.3567 Lakhs x 10/100 =Rs.233.73567 Lakhs Taking higher of the values i.e. Rs. 233.73567 Lakhs.
3	Cost of human resettlement	There is no human inhabitant as per record in railway line corridor forest land. Hence,

X

		there would be no loss due to human resettlement.
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Building, Schools, Dispensaries, Electric lines, Railways etc.) on forest land, which would require forest land if these facilities were diverted due to this project	<p>No administrative infrastructure such as road, buildings, schools, dispensaries, electric line, railway etc. are affected due to diversion of forest land to this project. There will be no loss involved on this account.</p> <p>The new Railway line will provide additional facilities better connectivity to local resident which will give opportunity of development in area.</p>
5	Possession value of forest land diverted	<p>Per hectare rate along alignment = 40 Lakhs  For diverted land area in hectare  = <math>40 \times 244.039</math> Ha = 9,761.56 Lakhs  (or)  = 30% of environmental cost (NPV)  = <math>30/100 \times 2337.3567</math> Lakhs  = Rs. 701.20701 Lakhs  Considering higher of the above values i.e.  Rs. 9,761.56 Lakhs</p>
6	Cost of suffering of outsees.	Not applicable.
7	Habitat Fragmentation Cost	<p>= 50% of NPV applicable as thumb rule.  = <math>2337.3567 \times 50\%</math> = Rs. 1168.67835 Lakhs</p>
8	Compensatory afforestation and soil & moisture conservation cost	<p>Approximate CA cost per ha with 10 years maintenance (considering cost escalation is  = 4 Lakhs  (or)  CA cost = <math>4 \times (244.039 \times 2)</math> = 1952.312 Lakhs</p>

Total cost (Environmental Loss) (A) = Rs. 15453.64272 Lakhs

  
[ Ankit Kumar, IRSE ]  
Dy. Chief Engineer (Construction) III  
Western Railway, Pratapnagar,  
Vadodara-390 004



## BENEFIT COST ANALYSIS

### PART-C

#### PARAMETERS FOR EVALUATION OF FORESTS NOT WITHSTANDING LOSS OF FOREST

No.	Parameters	Remarks
1	Increase in productivity attribute to the specific project	This railway project will improve accessibility to the region, which will help in socio-economic development.
2	Benefits to Economy due to the specific project	Improving the accessibility shall help in regional economic development.
3	No. of population benefited due to the specific project	Entire population of Alirajpur & Dhar District i.e 14,00,000 souls shall be benefited from the project.
4	Economic benefits due to centres, TV towers etc. Direct and indirect employment due to the specific Project.	This project will provide rail link in between Vadodara and Indore which will improve the connectivity in between the cities in the golden quadrilateral and central India. This will also give locals people, living in the vicinity of this railway line, to visit nearby bigger big cities and easily gain from the opportunities available in big cities. The underdeveloped districts of Alirajpur, Chotaudepur will get direct connectivity with big cities like vadodara. This project is helpful for establishment and development of small and medium scale industry and to stop migration of people in search employment. 400000 man days benefit due to employment = INR 500 per day =400000 x 500 = 20,00,00,000/- or 2000 Lakhs
5	Economic benefits due to compensatory afforestation	CA will be taken up in 488.078 Ha. of land having a minimum density of 0.7. The ecological value for 50 years period for the density of 1.0 is Rs. 126.74 Lakhs per hectare as per forest act 1980. Therefore, ecological gain would be Rs. 43,301.304 Lakhs


Total benefit (B) = 45301.304 Lakhs

Benefit to cost ratio = (B) / (A)

$$= 45301.304/15453.64272$$

$$= 2.93 (>1)$$

The benefit to cost ratio being greater than 1 (i.e. 2.93) the project is found to be viable as per the analysis/ described criteria.

  
[ Ankit Kumar, IRSE ]

Dy. Chief Engineer (Construction)III,  
Western Railway, Pratapnagar,  
Vadodara-390 004

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी,  
जोबट जिला अलीराजपुर (म0प्र0)**

कलेक्टर न्यायालय का प्र.क्र. 0018/अ-82/2016-17  
अ.वि.अ.(रा.)एवं भू-अर्जन अधि. का न्या.प्र.क्र. 0014/अ-82/2016-17

डिप्टी चीफ इंजिनियर,  
(निर्माण) वेस्टर्न रेलवे, प्रताप नगर बडौदा  
वेराद्ध

भुवानसिंह पिता रामसिंह जाति भील एवं अन्य  
निवासीगण बेटवासा तह. जोबट जिला-अलीराजपुर (म.प्र.)

**// प्रस्तावित अवार्ड //**  
**(दिनांक 25/01/2018)**

डिप्टी चीफ इंजीनियर (निर्माण) वेस्टर्न रेलवे, प्रताप नगर बडौदा ने उनके पत्र क्रमांक/  
brc/w/335/33 दिनांक 13.01.2017 द्वारा छोटा उदयपुर-धार रेलवे लाईन में आने वाले ग्राम  
देवाकुण्ड पटवारी हल्का नम्बर 49 तहसील जोबट जिला अलीराजपुर की निजी कृषि भूमि रकबा 9.792  
हेक्टर के 3 निवार्य भू-अर्जन का प्रस्ताव पेश किया गया। जिसमें अनिवार्य अर्जन का सार्वजनिक  
प्रयोजन ग्राम देवाकुण्ड छोटा उदयपुर-धार रेलवे लाईन के कार्य से प्रभावित होना बताया गया है।  
प्रस्ताव अनुसार सीमांकन उपरांत निम्न अनुसूची में वर्णित निजी कृषि भूमि का अर्जन प्रस्तावित है।

**—:अनुसूची:—**

ग्राम : देवाकुण्ड  
प.ह.नं. : 49  
तहसील : जोबट  
जिला : अलीराजपुर (म.प्र.)



क्र.	पटवारी हल्का नं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	भूमि की स्थिति		अधिग्रहित किया जाने वाला रकबा (हेक्टर में)
					सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	49	जोबट	देकाकुण्ड	487/2	0.000	0.409	0.409
2				480	0.483	0.000	0.483
3				481	0.000	0.813	0.813
4				439	0.000	0.134	0.134
5				60	0.000	1.138	1.138
6				62	0.000	0.377	0.377
7				72/2	0.000	0.026	0.026
8				72/1	0.000	0.305	0.305
9				77	0.000	0.003	0.003
10				76	0.000	0.298	0.298
11				74	0.000	0.047	0.047
12				75	0.000	0.388	0.388
13				82/1	0.130	0.000	0.130
14				82/2	0.000	0.030	0.030
15				83	0.000	0.210	0.210
16				176	0.000	0.017	0.017
17				175	0.000	0.136	0.136
18				174	0.039	0.000	0.039
19				171	0.122	0.000	0.122
20				170	0.010	0.000	0.010
21				166	0.384	0.000	0.384
22				110	0.000	0.414	0.414

23				111	0.000	0.198	0.198
24				165	0.166	0.000	0.166
25				164	0.405	0.000	0.405
26				163	0.252	0.000	0.252
27				162	0.510	0.000	0.510
28				161	0.126	0.000	0.126
29				160	0.093	0.000	0.093
30				158	0.269	0.000	0.269
31				157	0.267	0.000	0.267
32				156	0.776	0.000	0.776
33				487/मिन/3	0.000	0.305	0.305
34				483/1	0.000	0.470	0.470
35				490	0.000	0.042	0.042
योग:-					4.032	5.760	9.792

प्रस्तुत प्रस्ताव के संलग्न अर्जनीय भूमि के वर्ष 2016-17 की खसरा व वर्ष 2016-17 की बी -1 की नकलें मय नक्शा व अन्य प्रमाण पत्रों के साथ पेश की है। प्रस्तुतकर्ता डिप्टी चीफ इंजीनियर (निर्माण) वेस्टर्न रेलवे, प्रताप नगर बडौदा द्वारा अर्जनीय भूमि का सीमांकन कराया जाकर सीमांकित नकाव अन्य दस्तावेज भी प्रस्ताव के संलग्न प्रस्तुत किये हैं तथा प्रस्ताव में उनके द्वारा अनुमानित अग्रिम मुआवजा राशि भी उपलब्ध करायी गयी है।

1. प्रकरण में कलेक्टर अलीराजपुर द्वारा भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन, 2013) की धारा 11 की अधिसूचना क्रमांक 468/भू-अर्जन/रीडर-1/2017 अलीराजपुर, दिनांक 16.03.2017 को जारी की गई, जिसका प्रकाशन म.रा.राजपत्र के भाग-1 में दिनांक 07 अप्रैल 2017 को पृष्ठ क्रमांक 1574-1577 पर, तथा स्थानीय समाचार पत्र, अधिसूचना का स्थानीय प्रकाशन तहसीलदार, जोबट के सूचना पटल पर तथा ग्राम देवाकुण्ड की चौपाल पर चस्पा किया गया।
2. प्रकरण में धारा 11 की अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत नियत समयवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने से प्रकरण में कलेक्टर अलीराजपुर द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत उदघोषणा क्रमांक/1860/भू-अर्जन/2017 अलीराजपुर, दिनांक 05.08.2017 से जारी की गयी जिसका प्रकाशन मध्य प्रदेश राजपत्र के भाग 1 में दिनांक 22 सितम्बर, 2017 को पृष्ठ क्रमांक 5287 पर एवं समाचार पत्र



तथा उद्घोषणा का स्थानीय प्रकाशन तहसीलदार जोबट, ग्राम देकाकुण्ड की चौपाल पर चस्पा कराया गया है।

3. प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 19 कार्यवाही पूर्णता के पश्चात् अधिनियम की धारा 24 के तहत अग्रिम कार्यवाही की गई।
4. भू-अर्जन अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत अर्जित कृषि भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग की टीम द्वारा पहले कर लिया गया है, जिसका सीमांकित नक्शा व भू-अर्जन प्रपत्र 10,11 अनुसार समस्त अर्जनीय भूमि का भूमि मूल्यांकन पत्रक 13 तहसीलदार जोबट से प्राप्त हुआ है।
5. डिप्टी चीफ इंजीनियर (निर्माण) वेस्टर्न रेलवे, प्रताप नगर बडौदा के पत्र क्रमांक BRC/W/335/83/दिनांक 13.01.2017 में उल्लेखित निर्देशानुसार छोटा उदयपुर-धार रेलवे लाईन कार्य के लिये भू-अर्जन के संबंध में भू-अर्जन की प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही हेतु लिखा गया है। अतः भू-अर्जन के संबंध में तीन वर्ष बिक्री छोट का औसत तथा धारा 11 के प्रकाशन के समय की कलेक्टर गाईड लाईन दोनों में से जो भी अधिक है। तदनुसार भूमि के मूल्य निर्धारण की कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 40 के अनुसार की गई है। प्रकरण में धारा 11 की अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक 07 अप्रैल, 2017 के वित्तीय वर्ष 2016-17 की कलेक्टर गाईड लाईन तथा ग्राम बेटवासा की बिक्री की गाईड लाईन की औसत दर अनुसार किया गया है। ग्राम देकाकुण्ड में विगत तीन वर्षों में कोई खरीदी बिक्री नहीं होने से छोट बिक्री की रिपोर्ट अप्राप्त। उप-पंजीयक जोबट जिला अलीराजपुर से विगत तीन वर्षों की छोट-बिक्री प्राप्त की गई। जो प्रकरण में संलग्न है। कलेक्टर गाईड-लाईन का धारा 11 के समय वित्तीय वर्ष 2016-17 का निम्नानुसार है।

\* कलेक्टर गाईड लाईन अनुसार औसत

क्र.	वर्ष	प्रति हेक्टेयर	
		सिंचित	असिंचित
1	2015-16	2,86,000	1,43,000
2	2016-17	2,86,000	1,43,000
3	2017-18	3,00,000	1,50,000
	योग	8,72,000	4,36,000
	औसत दर	2,90.667	1,45.333

तहसीलदार तहसील जोबट से प्रभावित ग्राम की अर्जनीय भूमि का मूल्यांकन पत्रक 13 मय प्रतिवदेन के प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रभावित ग्राम देकाकुण्ड में धारा 11 की अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक 07 अप्रैल, 2017 से 30.11.2017 में भूमि का मूल्यांकन की गणना के लिए कलेक्टर गाईड लाईन अनुसार विगत तीन वर्षों का बजार मूल्य कुल रुपये 872000/-सिंचित एवं रुपये 436000/- असिंचित का होना पाया गया। इस आधार पर सिंचित भूमि का औसत मूल्य दर प्रति हेक्टेयर रुपये, 290667/- निर्धारित होता है। असिंचित भूमि के औसत मूल्य दर का रुपये 145333/-प्रति हेक्टेयर मूल्य से निर्धारण की कार्यवाही की गई। इस प्रकार डिप्टी चीफ इंजीनियर, (निर्माण) वेस्टर्न रेलवे, प्रताप नगर बडौदा के उपरोक्त प्राप्त निर्देशों के परिपालन में उक्त प्रदाय की जाने वाली दर के आधार पर भूमि का मूल्य गणना पत्रक 13 के अनुसार भूमि के मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही की गई है।



**भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही:-**


- सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड जोबट के पत्र क्रमांक/852/स.यं./लो.स्वा.या.ख./27, जोबट, दिनांक 07.11.2017 को कुओं एवं पाईप लाईन का मूल्यांकन पत्रक प्राप्त हुआ।
- सहायक संचालक उद्यान जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक/उद्यान/तक./मूल्यांकन/2017-18/2583 अलीराजपुर दिनांक 08.11.2017 को फलदार वृक्षों का मूल्यांकन प्राप्त हुआ।
- वन मण्डलाधिकारी, अलीराजपुर वनमण्डल अलीराजपुर म.प्र. के पत्र क्रमांक/मा.चि./2017/1499 अलीराजपुर, दिनांक 22.11.2017 को वृक्षों की लकड़ी का मूल्यांकन पत्रक प्राप्त हुआ।
- कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग अलीराजपुर के पत्र क्रमांक/3809/तक/2017-18 अलीराजपुर, दिनांक 20.11.2017 को मकानों का मूल्यांकन पत्रक प्राप्त हुआ।
- प्रकरणा में धारा 21 की कार्यवाही के अन्तर्गत धारा 21 की सार्वजनिक सूचना सुनवाई हेतु समय दिया गया उक्त अवधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

उक्त सर्वे नम्बर अर्जनीय भूमि का रकबा, उसकी स्थिति तथा उसमें प्रभावित परिसम्पत्तियों की जानकारी प्रदाय की गई, उक्त सुनवाई में से कोई भी कृषक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार प्रकरण में धारा 21 की सुनवाई समय कोई आपत्तियों प्राप्त नहीं होने से मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही की गई। उपरोक्त भूमियों का अर्जन, भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अधीन किया गया है।

इस प्रकार अर्जित की जा रही भूमि का मूल्यांकन तहसीलदार, तहसील जोबट द्वारा किया गया है। प्राप्त मूल्यांकन अनुसार ग्राम देकाकुण्ड की भूमि मुआवजा रुपये 19,76,832/- (रुपये उन्नीस लाख छियात्तर हजार आठ सौ बत्तीस मात्र) व भारत का राजपत्र दिनांक 07 अप्रैल, 2017 अनुसार कुल मुआवजा राशि का 2 गुणांक अनुसार रुपये 39,53,664/- (रुपये उनचालीस लाख तिरपन हजार छः सौ चोसठ मात्र) एवं 30(3) के तहत 12 प्रतिशत वार्षिक दर से 283 दिवस का भूमि का अतिरिक्त ब्याज रु.1,83,927/- (रु. एक लाख तिरासी हजार नौ सौ सताईस मात्र) इस प्रकार ग्राम देकाकुण्ड की भूमि का मुआवजा राशि कुल रुपये 41,37,591/- (रु. इकतालीस लाख सेतीस हजार पाँच सौ इकान्नवे मात्र) हुआ है, जिसका विस्तृत विवरण प्रारूप 13 में दर्शाया गया है। (संलग्न प्रारूप-13)

अर्जित की जाने वाली भूमि खसरा क्रमांक में स्थित वृक्ष प्रभावित होते हैं। जिसका मूल्यांकन वन मण्डलाधिकारी जिला अलीराजपुर एवं सहायक संचालक उद्यान द्वारा रुपये 58,390/- (रु. अठावन्न हजार तीन सौ नब्बे मात्र) आंका गया है, जिसका विस्तृत विवरण प्रारूप 17 (क) में दर्शाया गया है। इस प्रकार भूमि एवं वृक्ष/मकान/कुएँ का कुल मुआवजा राशि, 5,33,665/- (रु. पाँच लाख तेतीस हजार छः सौ पैंसठ मात्र) है। जिसका विस्तृत विवरण प्रारूप 22 में दर्शाया गया है। (संलग्न प्रारूप 22) मुआवजा राशि का भुगतान प्रारूप 22 में निर्धारित की गई है वही भुगतान की जावेगी।

उपरोक्तानुसार ग्राम देकाकुण्ड तहसील जोबट जिला अलीराजपुर की कुल निजी कृषि भूमि सर्वे नम्बर 35 कुल रकबा 9.792 हेक्टर का कुल अवार्ड 41,37,591/- (रु. इकतालीस लाख सेतीस हजार पाँच सौ इकान्नवे मात्र) का अवार्ड पारित किया जाता है।

  
भू-अर्जन अधिकारी एवं  
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)  
जोबट जिला अलीराजपुर



## अवार्ड का संक्षेप

1. ग्राम का नाम	: देकाकुण्ड
पटवारी हल्का नं.	: 49
तहसील का नाम	: जोबट
जिला	: अलीराजपुर (म.प्र.)
संपादित भूमि रकबा सिंचित	: 4.032 हेक्टर
संपादित भूमि रकबा असिंचित	: 5.760 हेक्टर


योग:- 9.792 हेक्टर

2. फार्म 13 के अनुसार	1976832 /-
फार्म 13 के अनुसार 100 प्रतिशत (तोषण राशि)	1976832 /-
12 प्रतिशत वार्षिक व्याज राशि 276 दिन	183927 /-

योग:- 4137591/-

3. अन्य परिसंपत्तियों का मूल्य-	
वृक्षों का मूल्य	: 58390 /-
लकड़ी/फलदार वृक्षों का मूल्य	
फार्म-17 क के अनुसार 100 प्रतिशत (तोषण राशि)	
सहित राशि	: 58390 /-
परिसंपत्तियों का कुल मूल्य	116780/-


अतः अर्जन की जाने वाली भूमि का प्रस्तावित अवार्ड राशि रुपये अवार्ड का अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् की सेवा में प्रेषित है।

  
भू-अर्जन अधिकारी एवं  
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)  
जोबट जिला अलीराजपुर

## प्रमाण-पत्र

मैंने (छोटा उदयपुर-धार रेलवे लाईन) योजनान्तर्गत शीर्ष के कार्य हेतु ग्राम देकाकुण्ड की अर्जित की जाने वाली भूमि के मेरे द्वारा पूरे प्रकरण का अवलोकन किया। गणना, नियम व निर्देशों के अन्तर्गत पाई गई है तथा शासन द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप प्रकरण में गणनाएँ की गई है, तथा परिगणित करने पर सही पाई गई है।


अतः ग्राम देकाकुण्ड का अवार्ड राशि रुपये 42,54,371/- (रु. बयालीस लाख, चौवन हजार तीन सौ इकहत्तर मात्र) का उल्लेख करते हुए अवार्ड प्रस्ताव के अनुमोदन की अनुशंसा करता हूँ।

  
(साकेत मालवीय) भा.प्र.से.  
भू-अर्जन अधिकारी एवं  
अनुविभागीय अधिकारी(रा.)  
जोबट जिला अलीराजपुर



भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट जिला अलीराजपुर द्वारा किये गये परीक्षण एवं की गई गणना तथा अनुशांसा के आधार पर ग्राम देकाकुण्ड के शीर्ष कार्य (छोटा उदयपुर-धार रेल लाईन ) से प्रभावित ग्राम देकाकुण्ड पटवारी हल्का नम्बर 49 तहसील जोबट जिला अलीराजपुर की निजी कृषि भूमि रकबा 9.792 हेक्टेयर हेतु अवार्ड राशि रूपये 42,54,371 /- (रु. बयालीस लाख, चौबन्न हजार तीन सौ इकहत्तर मात्र) का अनुमोदन किया जाता है।

जोबट दिनांक 30/01/2018

  
कलेक्टर  
जिला अलीराजपुर



कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र जोबट, सामान्य वन मण्डल अलीराजपुर  
 छोटा बस स्टेशन जोबट  
 क्रमांक/मा.चि./2018/152  
 मो.नं. 9424792432,  
 जोबट, दिनांक 29/03/2018


प्रति,

वनमण्डलाधिकारी महोदय  
 वनमण्डल अलीराजपुर

विषय :- छोटा उदयपुर - धार New BROAD GAUGE रेलवे लाईन के निर्माण में प्रभावित  
 कृषको की निजी भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन बाबत ।  
 सन्दर्भ :- उ.व.म.अ. आजाद नगर के पत्र क/1409 दिनांक 06.11.2017 ।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सन्दर्भित पत्रानुसार वन परिक्षेत्र जोबट अंतर्गत उप  
 परिक्षेत्र सहायक हरदासपुर एवं जोबट एवं स्टाफ द्वारा ग्राम देगाव , देहदला, बेटवासा, कोसदूना,  
 जेसिंगपुर , बलेडी , डेकाकुण्ड , कस्बा जोबट, के कृषको की निजी भूमि पर स्थित वृक्षों का  
 मूल्यांकन कर किया जाकर सूची रेन्ज पत्र क/ मा.चि./ 755 दिनांक 20.11.2017 से उपवनमण्डल  
 कार्यालय आजाद नगर प्रेषित की गई थी ।  
 सूचनार्थ प्रतिवेदन मय सूची के श्रीमान की सेवा में प्रेषित है ।  
 सलग्न - सूची

  
 वनपरिक्षेत्राधिकारी  
 वनपरिक्षेत्र जोबट



552  
11.8.18



कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र जोबट, सामान्य वन मण्डल अलीराजपुर  
मो.नं. 0424702432,  
कमांक/मा.वि./2018/ 157  
जोबट, दिनांक 14/03/2018

प्रति.

अनुविभागीय अधिकारी  
राजस्थान जोबट

विषय :- छोटा उदयपुर - धार New BROAD GAUGE रेलवे लाईन के निर्माण में प्रभावित

कृषको की निजी भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन वास्तु ।

सन्दर्भ :- उ.व.म.अ. आजाद नगर के पत्र क्र/1409 दिनांक 06.11.2017 ।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सन्दर्भित पत्रानुसार वन परिक्षेत्र जोबट अंतर्गत उप परिक्षेत्र सहायक हरदासपुर एवं जोबट एवं स्टाफ द्वारा ग्राम देगाव , देहदला, बेटवासा, कोसदुना, जेसिंगपुर , बलेडी , डेकाकुण्ड , कस्बा जोबट, के कृषको की निजी भूमि पर स्थित वृक्षों का मूल्यांकन कर किया जाकर सूची रेन्ज पत्र क्र/ मा.वि. / 755 दिनांक 20.11.2017 से उपवनमण्डल कार्यालय आजाद नगर प्रेषित की गई थी । जिसका गोपवारा निम्नानुसार प्रेषित है ।

ग्राम का नाम	वृक्ष की संख्या	कृषक संख्या	मुआवजा राशि
देहदला	129	14	64687.00
देगाव	50	17	11240.00
कस्बा जोबट	120	15	60069.00
बलेडी	350	39	129340.00
जेसिंगपुर	60	11	28225.00
कोसदुना	161	13	61645.00
डेकाकुण्ड	26	10	49790.00
बेटवासा	114	20	52700.00
योग	1010	139	457696.00

वनपरिक्षेत्राधिकारी

जोबट

To  
श्री 32/2209  
रेलवे की फाइल  
में शिल्लक की।  
G. H. Mohit.



कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र जोबट, सामान्य वन मण्डल अलीराजपुर  
छोटा बस स्टेशन जोबट  
कमांक/मा.चि./2018/152  
जोबट, दिनांक 10/03/2018

प्रति

वनमण्डलाधिकारी महोदय  
वनमण्डल अलीराजपुर

विषय :- छोटा उदयपुर - धार New BROAD GAUGE रेलवे लाईन के निर्माण में प्रभावित

कृषकों की निजी भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन बाबत ।

सन्दर्भ :- उ.व.म.अ. आजाद नगर के पत्र क्र/1409 दिनांक 06.11.2017 ।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सन्दर्भित पत्रानुसार वन परिक्षेत्र जोबट अंतर्गत उप परिक्षेत्र सहायक हरदासपुर एवं जोबट एवं स्टाफ द्वारा ग्राम देंगाव , देहदला, बेटवासा, कोसदूना, जेसिंगपुर , बलेडी , डेकाकुण्ड , कस्बा जोबट, के कृषकों की निजी भूमि पर स्थित वृक्षों का मूल्यांकन कर किया जाकर सूची रेन्ज पत्र क्र/ मा.चि. / 755 दिनांक 20.11.2017 से उपवनमण्डल कार्यालय आजाद नगर प्रेषित की गई थी । जिसका गोपवारा निम्नानुसार प्रेषित है ।

ग्राम का नाम	वृक्ष की संख्या	कृषक संख्या	मुआवजा राशि
देहदला	129	14	64687.00
देंगाव	50	17	11240.00
कस्बा जोबट	120	15	60069.00
बलेडी	350	39	129340.00
जेसिंगपुर	60	11	28225.00
कोसदूना	161	13	61645.00
डेकाकुण्ड	26	10	49790.00
बेटवासा	114	20	52700.00
याग	1010	139	457696.00

वनपरिक्षेत्राधिकारी उपवनमण्डलाधिकारी कार्यपालक अधिकारी, वनमण्डल सहायक यन्त्री  
जोबट आजाद नगर लो.नि.वि. अलीराजपुर जोबट लो.स्वा.या.जोबट

उपसंचालक विकास अधिकारी  
उद्योगिकी जोबट  
अलीराजपुर



20 - 11/20/2019  
2006557. 11/20/2019

$\sqrt{0.02} = 0.1414$

257-01

TS - 01

TP-2-01

1511-12

Andrew  
and  
Zoe

क्र.सं.	विवरण	प्रकार	मूल्य	वै.मूल्य	वै.मूल्य	वै.मूल्य
1	भुवनेश्वर विमानतट परांश	भुवनेश्वर विमानतट परांश	2200	1200	1000	1000
2	भुवनेश्वर विमानतट परांश	भुवनेश्वर विमानतट परांश	1400	1200	1000	1000
3	भुवनेश्वर विमानतट परांश	भुवनेश्वर विमानतट परांश	700	1200	1000	1000
4	भुवनेश्वर विमानतट परांश	भुवनेश्वर विमानतट परांश	2600	1200	1000	1000
5	भुवनेश्वर विमानतट परांश	भुवनेश्वर विमानतट परांश	1500	1200	1000	1000
6	भुवनेश्वर विमानतट परांश	भुवनेश्वर विमानतट परांश	1300	1200	1000	1000
7	भुवनेश्वर विमानतट परांश	भुवनेश्वर विमानतट परांश	1200	1200	1000	1000
8	भुवनेश्वर विमानतट परांश	भुवनेश्वर विमानतट परांश	2100	1200	1000	1000
9	भुवनेश्वर विमानतट परांश	भुवनेश्वर विमानतट परांश	1200	1200	1000	1000
10	भुवनेश्वर विमानतट परांश	भुवनेश्वर विमानतट परांश	1700	1200	1000	1000
11	भुवनेश्वर विमानतट परांश	भुवनेश्वर विमानतट परांश	1700	1200	1000	1000
12	भुवनेश्वर विमानतट परांश	भुवनेश्वर विमानतट परांश	1500	1200	1000	1000
13	भुवनेश्वर विमानतट परांश	भुवनेश्वर विमानतट परांश	600	1200	1000	1000

महंगा - 10

रेखा - 1

संगीत - 1

देवता - 1

आम - 1 संगीत - 14

महंगा - 10  
रेखा - 1  
संगीत - 1  
देवता - 1  
आम - 1 संगीत - 14





7	राष्ट्र विद्या मन्दिर ज्योति मील पत्र नि. ग्राम भुमि	156	राष्ट्र विद्या मन्दिर ज्योति मील पत्र नि. ग्राम भुमि स्वामी:	महोदय - 4					
8	सैलका प्रति सम्पत्ति ज्योति मील भुमि स्वामी।	157	सैलका प्रति सम्पत्ति ज्योति मील भुमि स्वामी।	वस्ती - 3					
9	राजका विद्या जगदीश ज्योति मील पत्र निवासी	164	राजका विद्या जगदीश ज्योति मील पत्र निवासी ग्राम भुमि	औरंगाबा - 1					
10		483/3		आम - 1	3600				
				महोदय - 1					
				बड - 1					
				गुलहर - 1					

सहायक निदेशक  
**Assistant Director**  
**of Horticulture**  
 Distt. Alwar (M P)

विनीत साहू  
विनीत साहू  
जिला अतीरजग

<p>फार्म-17 क</p> <p>अवार्ड संबंधी रेलवे लाइन (ओटापदेपुर-धार) के अंतर्गत वृक्षों की जानकारी</p> <p>ग्राम डेकानसिंह तहसील जीबट जिला आलसोरापुर (गोवा) का मुआयजा पत्रक वर्ष 2017-18</p>									
क्र०	भूमि स्वामी का नाम वय पिता का नाम	खसरा क्रमांक	वृक्ष पर भूमि स्वामी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति का कब्जा स्वामीत्व हो तो उसका नाम	वृक्ष का नाम	फलदार पेड़ की स्थिति में उद्यान विभाग द्वारा निर्धारित मुआयजा	वन विभाग द्वारा निर्धारित लकड़ी का मुआयजा	योग 6+7	मू-अर्जन डिविजियम 2013 की धारा 30 (1) के तहत 100 प्रतिशत तोषण चारि	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मुदानसिंह पिता रामसिंह जाति भील पत्ता सा. देह भूमि स्वामी।	480	मुदानसिंह पिता रामसिंह जाति भील पत्ता सा. देह भूमि स्वामी।	महुआ-3 रिश्रा-1 सागोम-1					
2	ममन पिता धुनजी जाति भलई पत्ता नि.ग्राम भूमि स्वामी।	439	ममन पिता धुनजी जाति भलई पत्ता नि.ग्राम भूमि स्वामी।	महुआ-2					
3	रायली देवा धाउ जाति भील पत्ता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।	60	रायली देवा धाउ जाति भील पत्ता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।	महुआ-5					
4	चमरु पिता खुमसिंह जाति भील पत्ता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।	76	चमरु पिता खुमसिंह जाति भील पत्ता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।	तेनिर-1					
5	भुरसिंह पिता भीलु केरम, सजनी, सुपेरसिंह, सदन पिता केनदरसिंह ना० ना० ना० ५० माता सायरी व सायरी देवा केदरसिंह, चम्पा देवा भीलु, बाबु, मालु पिता हिरजी सापसीया ना० ना० ना० ५० माता भुरा व भुरा देवा हिरजी, रणसिंह पिता डड्ड, अरमना, लुसी, भुरली, मोटली, समीना पिता केशरसिंह व सहदा देवा केशरसिंह जाति भील पत्ता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।	174	भुरसिंह पिता भीलु केरम, सजनी, सुपेरसिंह, सदन पिता केनदरसिंह ना० ना० ना० ५० माता सायरी व सायरी देवा केदरसिंह, चम्पा देवा भीलु, बाबु, मालु पिता हिरजी सापसीया ना० ना० ना० ५० माता भुरा व भुरा देवा हिरजी, रणसिंह पिता डड्ड, अरमना, लुसी, भुरली, मोटली, समीना पिता केशरसिंह व सहदा देवा केशरसिंह जाति भील पत्ता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।	आम-1	3600				
6	भुरसिंह पिता भीलु केरम, सजनी, सुपेरसिंह, सदन पिता केनदरसिंह ना० ना० ना० ५० माता सायरी व सायरी देवा केदरसिंह, चम्पा देवा भीलु, बाबु, मालु पिता हिरजी सापसीया ना० ना० ना० ५० माता भुरा व भुरा देवा हिरजी, रणसिंह पिता डड्ड, अरमना, लुसी, भुरली, मोटली, समीना पिता केशरसिंह व सहदा देवा केशरसिंह जाति भील पत्ता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।	176	भुरसिंह पिता भीलु केरम, सजनी, सुपेरसिंह, सदन पिता केनदरसिंह ना० ना० ना० ५० माता सायरी व सायरी देवा केदरसिंह, चम्पा देवा भीलु, बाबु, मालु पिता हिरजी सापसीया ना० ना० ना० ५० माता भुरा व भुरा देवा हिरजी, रणसिंह पिता डड्ड, अरमना, लुसी, भुरली, मोटली, समीना पिता केशरसिंह व सहदा देवा केशरसिंह जाति भील पत्ता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।	महुआ-3					



780001✓

जे J संख्या

विवरण Particulars	संख्या No.	लंबाई Length	चौड़ाई Width	गहराई Depth	विषय-सूची Contents
----------------------	---------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------------

Name of work :- Earthwork in bank, cutting in all kind of soil soft rock hard rock and blanketing for formation, yards, Talley refer, gees & bridge approaches etc. and construction of minor bridge RUBs, side drains, - - -

T.No. DY.CE-C-1-BRC-CTD-DHAR-78

Name of agency - m/s Jalaram & Co

CA No. - DY.CE/C/BRC/CE/✓

Date of Commencement - 25-1-19 ✓

Date of completion - work in progress,

1st R.A bill

Record measurement

Date - 20/5/19 ✓

Schedule 'A'

Item No. 013120 Earthwork in filling in embankment, guide bunds, ground buried type - - - - -

Qty as per assessment register No. ①



Record Measurement

Date - 20/5/19

Schedule 'A'

Item No. 013120 Earthwork in following in  
embankment, guide bunds, ground  
bund type -

Qty as per assessment referer No. ①

Page - 2 - - = 124466.40 cum

Total = 124466.40 cum

5% Shrinkage - (-) 6223.32 cum

Net total = 118243.08 cum

Item No. 013130 Extra for mechanical composition of  
earth - - -

Qty same as Item No. 13120 = 118243.08 cum  
Recorded above.

Total = 118243.08 cum

Checked  
S. E. / S. V.

100% 10

Inspector.

Qty  
S. E. / S. V.

XEN/1000





**कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा.) / दण्डाधिकारी जोबट जिला अलीराजपुर म.प्र.**

E-mail:- jobatsdm@gmail.com Phone No. 07393-288031

क्र./129/रीडर /2023

जोबट,दिनांक 20/01/2022

प्रति,

कलेक्टर महोदय  
जिला-अलीराजपुर

विषय:- ग्राम डेकाकुण्ड पटवारी हल्का न. 41 अंतर्गत धार-छोटाउदयपुर रेलवे लाईन अंतर्गत अधिग्रहित भूमि पर राजस्व विभाग, वन विभाग तथा रेलवे विभाग द्वारा की गई संयुक्त जाँच के संबंध में।

सन्दर्भ:- पश्चिम रेलवे पत्र क्रमांक BRC/W/115/06/(FOREST) दिनांक 09/01/2013 ।

--o--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार ग्राम डेकाकुण्ड स्थित निजी सर्वे न. 439,480,481,483/1 एवं शासकीय सर्वे न. 437,438,462,474,475,488 की मोका जाँच राजस्व विभाग, वन विभाग एवं रेलवे विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की गई। जाँच में विभाग वार निम्नलिखित बिन्दु पाए गये:-

1. रेलवे विभाग द्वारा ग्राम डेकाकुण्ड अंतर्गत अधिग्रहीत की गई शासकीय भूमि सर्वे न. 437,462,474,475,488 भूमि न्यायालय कलेक्टर जिला अलीराजपुर के प्रकरण क्रमांक 0028/अ-19(3)/2019-20 अंतर्गत अधिग्रहित की जाकर रेलवे विभाग को हस्तान्तरित की गई है। इस प्रकार ग्राम डेकाकुण्ड अंतर्गत अधिग्रहीत की गई निजी सर्वे न. 439,480,481,483/1 की भूमि न्यायालय कलेक्टर जिला अलीराजपुर के प्रकरण क्रमांक 0018/अ-82(3)/2016-17 अंतर्गत अधिग्रहित की जाकर रेलवे विभाग को हस्तान्तरित की गई है। वर्तमान में बिन्दु क्र. 1 अनुसार निर्माणाधीन धार-छोटाउदयपुर रेलवे लाईन ग्राम डेकाकुण्ड के सर्वे न. 438,439 अंतर्गत निर्माण होने से वन विभाग द्वारा आपत्ति ली गई है। उक्त संबंध में रेलवे विभाग द्वारा संदर्भित पत्र द्वारा उक्त भूमि का सत्यापन चाहा गया है। रेलवे विभाग अनुसार उक्त अधिग्रहित की गई शासकीय एवं निजी भूमि के संबंध में विधिवत अवार्ड पारित दिनांक 25/01/2018 के पश्चात रेलवे निर्माण का कार्य किया जा रहा है जो वर्तमान लगभग 80% पूर्ण हो चुका है। वन विभाग द्वारा अवार्ड पारित होने के पश्चात विगत 3 वर्षों में किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं ली गई जबकि उक्त अवार्ड का विधि पूर्वक दावा आपत्ति के संबंध में विज्ञापित प्रकाशन किया गया था। चुकी रेलवे विभाग का कार्य वर्तमान में पूर्ण होने की स्थिति में है ऐसी स्थिति में वन विभाग द्वारा आपत्ति लिये जाने से रेलवे विभाग का कार्य रुका हुआ है।
2. उक्त संदर्भित पत्र में उल्लेखित ग्राम डेकाकुण्ड अंतर्गत स्थित सर्वे न. का अवलोकन राजस्व विभाग के वर्तमान राजस्व रिकार्ड, मिसल बंदोबस्त वर्ष 1991-92 एवं मिसल बंदोबस्त वर्ष 1956-57 अनुसार किया गया। मिसल बंदोबस्त वर्ष 1991-92 के अनुसार निजी सर्वे न. 439,480,481,483/1 एवं शासकीय सर्वे न. 437,438,462,474,475,488 क्रमशः पुराने सर्वे न. क्रमशः 41 रकबा 17.66 एकड़ = 7.15 हे. मद चरोखर, सर्वे न. 42 रकबा 135.14 एकड़ = 54.69 हे. काबिल कास्त सर्वे न. 81 रकबा 31.80 एकड़ = 15.70 हे. मद



काबिल कास्त एवं सर्वे न. 80 रकबा 78.82 एकड = 31.90 हे. मद चरोखर होना पाया गया है। पुराने सर्वे न. 41 से वर्तमान में सर्वे न. 438 रकबा 4.77 हे. मद चरोखर व सर्वे न. 439 रकबा 1.83 हे. मद चरोखर बने होना पाये गये। पुराने सर्वे न. 81 से वर्तमान के सर्वे न. 480 रकबा 1.03 हे. मद ना.का., सर्वे न. 481 रकबा 1.25 हे. मद ना.का. सर्वे न. 482 रकबा 0.29 मद ना.का. सर्वे न 483 रकबा 1.82 मद ना.का. बने होना पाये गये। पुराने सर्वे न. 80 से वर्तमान सर्वे न. 437 रकबा 1.48 हे. मद रास्ता सर्वे न. 462 रकबा 0.90 हे. मद ना.का. सर्वे न. 474 रकबा 0.25 मद ना.का. एवं सर्वे न. 475 रकबा 0.81 मद रास्ता बने होना पाये गये। इस प्रकार रेलवे विभाग के संदर्भित पत्रानुसार जिन सर्वे न. पर वर्तमान में वन विभाग द्वारा आपत्ति ली जा रही है। उक्त समस्त सर्वे न. मिसल बंदोबस्त वर्ष 1956-57, मिसल बंदोबस्त वर्ष 1991-92 एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार राजस्व विभाग की शासकिय भूमि होकर दर्ज है। उक्त सर्वे नम्बरो पर कही भी पुराने रिकार्ड एवं वर्तमान रिकार्ड में किसी भी प्रकार के जंगल/वन भूमि होने का उल्लेख नहीं होना पाया गया है। राजस्व रिकार्ड अनुसार उक्त भूमि राजस्व विभाग की होकर दर्ज होना पाई गई है।

3. **वन विभाग** — उपरोक्त संदर्भित पत्र के संबंध में आज दिनांक 20/01/2023 को राजस्व विभाग, वन विभाग तथा रेलवे विभाग द्वारा संयुक्त मौका स्थल का निरीक्षण किया गया।

- No. 1460-819-X-6x- In exercise of the powers conferred by section 20 of the Indian forest Act, 1927 (XVI of 1927) the Government of Madhya Pradesh is pleased, with reference to Madhya Bharat government notification no. 6037/XF/592/55, dated the 19 th may 1956 to declare the land shown below in Jobat tehsil of jhabua district, to be reserved forest with effect from the 1<sup>st</sup> June of 1961.

Dekakund —	survey no.	Area
	41	17.26
	42	134.84
	80	76.52
	81	38.80
	<b>Total</b>	<b>267.42</b>

**Note-** उक्त ग्राम डेकाकुण्ड के उक्त सर्वे न. का डाटा मध्यप्रदेश शासन वन विभाग अलीराजपुर वन मण्डल की कार्य आयोजना वर्ष 2018-19 से 2027-28 पुस्तक क्रमांक — 3 परिशिष्ट आलेख भाग — 1 व 2 के पृष्ठ क्रमांक 109 पर उल्लेखित डाटा से लिया गया है। उक्त डाटा में रकबे की युनिट बिघा में दर्ज है। किन्तु वन विभाग के ब्लॉक मैप में रकबे की युनिट एकड में दर्ज है।

- तात्कालिन डिप्टीजन धार अंतर्गत ब्लॉक जमेरी रेन्ज-जोबत, स्केल — 4"=1 माईल रकबा रोटिल 4801.72 एकड के अंतर्गत ब्लॉक मैप में खसरा क्र. 34,35,37,40,42,41,79,80,81,82,83,84,85 दर्शाया गया है। जो कि वन क्षेत्र में आता है।










- रेलवे द्वारा अधिग्रहीत कर निर्माण कार्य की गई भूमि वन मण्डल अलीराजपुर अंतर्गत कक्ष इतिहास में कक्ष क्र. 29 अंतर्गत नक्शे में वन क्षेत्र डेकाकुण्ड के अंतर्गत आती है।
- उपरोक्त समस्त दस्तावेजों एवं संलग्न अभिलेखों के आधार पर छोटाउदयपुर से धार रेलवे लाइन निर्माण हेतु 6.654 हेक्टर वन भूमि व्यपवर्तन हेतु बीट बलेडी के कक्ष क्रमांक 29 में मोके पर कुल लम्बाई में से 695 मीटर पर रेलवे विभाग द्वारा कार्य पहले ही किया जा चुका है। तथा 380 मीटर पर कार्य करना शेष है।


निष्कर्ष :- उक्तानुसार राजस्व विभाग, वन विभाग तथा रेलवे विभाग द्वारा की गई संयुक्त जाँच के आधार पर यह निष्कर्ष पाया गया कि रेलवे विभाग द्वारा अधिग्रहण के समय दर्ज राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे के आधार पर उक्त भूमि शासकिय भूमि सर्वे न. 437,462,474,475,488 तथा निजी सर्वे न. 439,480,481,483/1 की भूमि का अधिग्रहण कर उस पर निर्माण कार्य किया है। राजस्व विभाग के नक्शा एवं खसरा रिकार्ड अनुसार वन विभाग की भूमि जोबट-बोरी मार्ग के पूर्व में स्थित होना पाई गई है। जोबट-बोरी मार्ग के पश्चिम में स्थित समस्त भूमेया राजस्व विभाग की होना वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्शित है। उक्त विवादग्रस्त भूमि के सर्वे न. का मिलान मिसल बंदोबस्त वर्ष 1956-57, मिसल बंदोबस्त वर्ष 1991-92 एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार राजस्व विभाग से किया गया है। किन्तु वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड अनुसार ग्राम डेकाकुण्ड अंतर्गत ब्लॉक मेप में खसरा क्र. 34,35,37,40,42,41,79,80,81,82,83,84,85 दर्शाया गया है। उक्त समस्त सर्वे नम्बर मिसल बंदोबस्त वर्ष 1956-57 अनुसार राजस्व विभाग के पुराने नम्बर है। उक्त खसरा क्रमांक को 01 जून 1961 में नोटिफिकेशन के माध्यम से वन विभाग को हस्तान्तरित किये गये थे। किन्तु नवीन बंदोबस्त वर्ष 1991-92 में उक्त वन विभाग को नोटिफाई किये गये उक्त सर्वे न. का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में नहीं होना पाया गया जो कि वर्तमान वर्ष तक यथावत है। वन विभाग के ब्लॉक नक्शे अनुसार वन विभाग की सीमा ग्राम डेकाकुण्ड के पश्चिम में स्थित डोही नदी तक होना दर्शित है। वर्तमान में वन विभाग की सीमा एवं राजस्व विभाग की सीमा का मिलान नहीं हो पा रहा है।

अतः आज दिनोंक को किये गये संयुक्त निरीक्षण में सीमा का निर्धारण नहीं होने के कारण आगामी जाँच की आवश्यकता है।

  
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)  
जोबट, जिला - अलीराजपुर

  
तहसीलदार  
तहसील जोबट

  
वनपरिक्षेत्राधिकारी  
जोबट

  
कार्यपालन यंत्री  
पश्चिम रेलवे